

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015—भाद्र 27, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्र. एफ-7-11-2013-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजधानी परियोजना प्रशासन, तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त नियमों में,

अनुसूची एक में अनुक्रमांक 22 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की

जाएं, अर्थात्:—

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"23.	फ्लोर सुपरवाइजर	14	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900	यह पद डाईंग केडर का होगा."

No. F-7-11-2013-XXXII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Capital Project Administration Class-III Recruitment Rules, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said rules in Schedule-I, after serial number 22, the following serial number and entries relating thereto shall be added at the end namely:—

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"23.	Floor Supervisor	14	Class-III	5200-20200+1900	It shall be dying cadre post."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.